

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 584]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 नवम्बर 2020 — कार्तिक 20, शक 1942

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-01/2019/सात-4.— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट तहसील की सीमाओं को परिवर्तित, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन तहसील सृजित तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 13 द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात :-

अनुसूची

स.क.	जिला	वर्तमान तहसील	नवीन तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	नवीन तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सुकमा	सुकमा	गादीरास	राजस्व निरीक्षक मण्डल गादीरास के पटवारी हल्का नं. 01, 02, 03, 04, 12, 18, 19, 20 एवं 22 के कुल 13 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल केरलापाल के पटवारी हल्का नं. 05, 06 एवं 21 के कुल 09 ग्राम। अतः 12 पटवारी हल्के के कुल 22 ग्राम नवीन तहसील “गादीरास” में शामिल होंगे।	उत्तर — तहसील कटेकल्यान दक्षिण — तहसील सुकमा पूर्व — तहसील छिन्दगढ़ पश्चिम— तहसील कुआकोन्डा
2	रायपुर	तिल्दा	खरोरा	राजस्व निरीक्षक मण्डल खरोरा के पटवारी हल्का नं. 31, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एवं 54 के कुल 20 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल बंगोली के पटवारी हल्का नं. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 एवं 53 के कुल 22 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल मोहरेंगा के पटवारी	उत्तर — तहसील तिल्दा दक्षिण — तहसील आरंग पूर्व — तहसील आरंग और पलारी पश्चिम— तहसील रायपुर

				हल्का नं. 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 एवं 52 के कुल 28 ग्राम। अतः 27 पटवारी हल्के के कुल 70 ग्राम नवीन तहसील "खरोरा" में शामिल होंगे।	
--	--	--	--	---	--

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.डी.दीवान, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 11th November 2020

NOTIFICATION

No. F 11-01/2019/Seven-4.— In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the said Code, the State Government, alters the limits of Tehsil specified in column (3), create a new Tehsil specified in column (4) and defines the limits thereof as specified in Schedule below, the same having been previously published as required by Section 13 of the said Code, namely :-

SCHEDULE

S. No.	District	Present Tehsil	New Tehsil	Nature of Change	Boundaries of new Tehsil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sukma	Sukma	Gadiras	Total 13 villages of Patwari Halka No. 01, 02, 03, 04, 12, 18, 19, 20 and 22 of Revenue Inspector Mandal Gadiras. Total 09 villages of Patwari Halka No. 05, 06 and 21 of Revenue Inspector Mandal Kerlapal. Hence, total 22 villages of 12 Patwari Halka shall be included in new Tehsil "Gadiras".	North - Tehsil Kateklyan South - Tehsil Sukma East - Tehsil Chhindgarh. West - Tehsil Kunvakonda
2	Raipur	Tilda	Kharora	Total 20 villages of Patwari Halka No. 31, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 and 54 of Revenue Inspector Mandal Kharora. Total 22 villages of Patwari Halka No. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 and 53 of Revenue Inspector Mandal Bangoli. Total 28 villages of Patwari Halka No. 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 and 52 of Revenue Inspector Mandal Moharenga. Hence, total 70 villages of 27 Patwari Halka shall be included in new Tehsil "Kharora".	North - Tehsil Tilda South - Tehsil Aarang East - Tehsil Aarang & Palari. West - Tehsil Raipur

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M.D.DIWAN, Joint Secretary.